

इंदिरा गांधी: प्रारंभिक जीवन

इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्हें भारतीय राजनीति में उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, नेतृत्व क्षमता और ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाना जाता है। उनका प्रारंभिक जीवन उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य के संघर्षों की नींव था।

जन्म और परिवार:

- पूरा नाम: इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू
- जन्म: 19 नवंबर 1917, इलाहाबाद (अब प्रयागराज), उत्तर प्रदेश
- पिता: पंडित जवाहरलाल नेहरू (भारत के पहले प्रधानमंत्री)
- माता: कमला नेहरू
- इंदिरा गांधी एक ऐसे परिवार में जन्मीं, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय था। उनके पिता, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के निकट सहयोगी और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे।

बचपन और शिक्षा:

- इंदिरा का बचपन राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता आंदोलन के वातावरण में बीता।
- उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज के मॉडर्न स्कूल, पूना, और बाद में शांति निकेतन (बंगाल) में प्राप्त की, जहाँ रवींद्रनाथ ठाकुर की विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- उच्च शिक्षा के लिए वे स्विट्ज़रलैंड और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (इंग्लैंड) गईं। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी।

राजनीति से पहला संपर्क:

- इंदिरा ने बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में रुचि लेना शुरू कर दिया था। 1930 में, जब वह केवल 13 वर्ष की थीं, तो उन्होंने "वानर सेना" नाम से एक बाल संगठन की स्थापना की थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गुप्त सूचनाएं पहुँचाने, पर्चे बाँटने जैसे कार्य करता था।
- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके माता-पिता कई बार जेल गए, जिससे उनके व्यक्तित्व में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति की भावना गहराई से समा गई।

विवाह:

- 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह किया, जो पारसी समुदाय से थे और खुद भी एक सक्रिय युवा नेता थे। इससे उनके जीवन में सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर आलोचना भी हुई, पर इंदिरा ने हमेशा निर्णयों में आत्मविश्वास दिखाया।

निष्कर्ष:

इंदिरा गांधी का प्रारंभिक जीवन स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति, संघर्ष और आत्मबल का प्रतीक था। परिवार, शिक्षा, और सामाजिक परिवेश ने उन्हें एक दृढ़ नायिका के रूप में आकार दिया, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनीं।

अगर आप चाहें तो मैं इसका PDF या पॉइंट-वाइज नोट्स भी बना सकता हूँ।

इंदिरा गांधी: राजनीतिक जीवन (विस्तृत, तथ्यात्मक, परीक्षा उपयोगी शैली में)

♦ राजनीतिक जीवन की शुरुआत:

- इंदिरा गांधी का सक्रिय राजनीतिक जीवन **1955** में आरंभ हुआ, जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया।
 - वे जल्द ही कांग्रेस की सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गईं।
 - **1959** में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया — यह उनका पहला बड़ा राजनीतिक पद था।
-

♦ प्रधानमंत्री पद तक का सफर:

- **1964:** पंडित नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया।
 - **1966:** ताशकंद समझौते के बाद शास्त्री जी का निधन हो गया। इसके बाद कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हराकर प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया।
-

♦ प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल (1966–1971):

- गरीबी उन्मूलन और समाजवाद पर बल।
 - "गरीबी हटाओ" (Garibi Hatao) नारा देकर व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया।
 - 1969 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंट गई – कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (आर)। इंदिरा गांधी कांग्रेस (आर) में रहीं और इसे जनसमर्थन मिला।
 - बैंकों के राष्ट्रीयकरण (1969) और राजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त करना उनके बड़े कदम थे।
-

♦ दूसरा कार्यकाल और बांग्लादेश युद्ध (1971–1977):

- **1971** लोकसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत से जीत मिली।
 - इसी वर्ष भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने निर्णायक जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण (16 दिसंबर 1971) हुआ।
 - उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया।
-

♦ आपातकाल (1975–1977):

- **1975:** इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया।
 - इसके बाद उन्होंने देश में आपातकाल (**Emergency**) घोषित कर दिया – 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक।
 - प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी, और नागरिक अधिकारों पर रोक के कारण उनकी काफी आलोचना हुई।
-

♦ चुनावी हार और वापसी (1977–1980):

- 1977 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस की हार हुई।
 - लेकिन जनता सरकार की अंदरूनी कलह और अस्थिरता से लोग निराश हो गए।
 - **1980** में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने जोरदार वापसी की और वह फिर से प्रधानमंत्री बनीं।
-

♦ 1980–1984: अंतिम कार्यकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार:

- पंजाब में अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन बढ़ रहा था।
 - **1984** में इंदिरा गांधी ने "ऑपरेशन ब्लू स्टार" चलाया, जिसमें सेना ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर से खालिस्तानी आतंकियों को निकाला।
 - इससे सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया।
-

♦ हत्या:

- **31 अक्टूबर 1984:** उनके दो सिख अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
 - उनकी मृत्यु के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे।
-

आपातकाल (Emergency) भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद और ऐतिहासिक अध्याय है। यह एक ऐसा दौर था जब देश में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया और सरकार को असाधारण शक्तियाँ मिल गईं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं —

▲ आपातकाल (Emergency): 25 जून 1975 – 21 मार्च 1977

♦ घोषणा का कारण:

- 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी गड़बड़ी (corrupt practices) के आधार पर अवैध घोषित कर दिया।
 - साथ ही उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया।
 - इससे उनके प्रधानमंत्री पद पर बने रहना संकट में पड़ गया।
-

♦ राजनीतिक स्थिति:

- जेपी आंदोलन (जेपी आंदोलन) के नेता जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और निरंकुश शासन के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ रखा था।
 - पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।
 - इंदिरा गांधी ने इसे आंतरिक अस्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया।
-

♦ आपातकाल की घोषणा:

- 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए।
 - इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा की – “भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है।”
-



आपातकाल के दौरान क्या-क्या हुआ?

1. मौलिक अधिकारों का निलंबन:

- संविधान के अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता के अधिकार) को स्थगित कर दिया गया।
 - हबीस कॉर्पस (Habeas Corpus) जैसे कानूनी अधिकार भी समाप्त कर दिए गए – यानी बिना कारण बताये गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
-

2. विरोधियों की गिरफ्तारी:

- हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीसा (MISA – Maintenance of Internal Security Act) के तहत बिना मुकदमा जेल में डाल दिया गया।
- प्रमुख गिरफ्तार नेता:
 - जयप्रकाश नारायण
 - अटल बिहारी वाजपेयी

- लालकृष्ण आडवाणी
 - मोरारजी देसाई
 - चंद्रशेखर
-

3. प्रेस सेंसरशिप:

- सभी अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई।
 - संपादकों को सरकारी अनुमति के बिना कोई खबर नहीं छापने दी गई।
 - "इंडियन एक्सप्रेस" और "स्टेट्समैन" जैसे अखबारों ने विरोध में खाली पेज छापे।
-

4. नसबंदी अभियान:

- संजय गांधी के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जबरन नसबंदी करवाई गई।
 - कई मामलों में गरीबों को डराकर या बिना सहमति के नसबंदी की गई।
 - इससे ग्रामीण और गरीब तबके में भारी नाराजगी फैली।
-

5. संविधान में संशोधन:

- 42वां संविधान संशोधन (1976) लाया गया, जिसमें:
 - केंद्र सरकार की शक्तियाँ और बढ़ा दी गईं।
 - न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया गया।
 - "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष", और "एकता और अखंडता" जैसे शब्द जोड़े गए।
-

प्रतिक्रिया और परिणाम:

♦ जनता की नाराजगी:

- लोगों में असंतोष बढ़ता गया, लेकिन भय और दमन के कारण विरोध खुलकर नहीं हो सका।
- आपातकाल के निर्णयों को अलोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण माना गया।

♦ 1977 के चुनाव:

- मार्च 1977 में चुनाव हुए।
- इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाकर चुनाव की घोषणा की।
- जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।
- खुद इंदिरा गांधी और संजय गांधी को रायबरेली और अमेठी से हार का सामना करना पड़ा।

निष्कर्ष:

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का ऐसा दौर था जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं, मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक स्वतंत्रता को कुचला गया।

हालाँकि यह कानूनी रूप से लागू किया गया था, परन्तु नैतिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से इसकी तीव्र आलोचना हुई।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चौकसी, सक्रिय नागरिकता और स्वतंत्र संस्थाएँ आवश्यक हैं।

◆ इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री के रूप में प्रमुख उपलब्धियाँ
(विस्तृत, तथ्यात्मक, परीक्षा उपयोगी शैली में)

कार्यकाल:

- प्रथम चरण: 1966–1977
 - द्वितीय चरण: 1980–1984
-

1. 'गरीबी हटाओ' अभियान (Garibi Hatao):

- 1971 के चुनाव में उनका नारा "गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ" अत्यंत लोकप्रिय हुआ।
 - इसके अंतर्गत कई गरीब समर्थक योजनाएँ शुरू की गईं:
 - ग्रामीण रोजगार योजना
 - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का सख्त क्रियान्वयन
 - बीपीएल परिवारों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम
-

2. बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969):

- इंदिरा गांधी ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।
- उद्देश्य:
 - गरीबों, किसानों और छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना
 - बैंकिंग व्यवस्था को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक फैलाना

👉 यह निर्णय आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन की आधारशिला माना जाता है।

3. प्रिवी पर्स की समाप्ति (1971):

- राजाओं को मिलने वाला वार्षिक भत्ता (प्रिवी पर्स) समाप्त कर दिया गया।
 - उद्देश्य:
 - समानता और गणराज्य की भावना को सुदृढ़ करना
 - समाजवादी दृष्टिकोण को बल देना
-

4. 1971 का भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना:

- पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने निर्णायक जीत हासिल की।
 - 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया।
 - इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) का जन्म हुआ।
 - इंदिरा गांधी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली — उन्हें "दुर्गा" कहा गया।
-

5. परमाणु शक्ति में आत्मनिर्भरता: पोखरण परीक्षण (1974):

- राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण (**Smiling Buddha**) सफलतापूर्वक किया गया।
- भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है।

👉 यह इंदिरा गांधी की रणनीतिक दूरदृष्टि का उदाहरण था।

6. श्वेत क्रांति (White Revolution) को समर्थन:

- वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किए गए दूध उत्पादन आंदोलन को इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया।
 - इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना।
-

7. हरित क्रांति को प्रोत्साहन:

- 1960 के दशक में प्रारंभ हुई हरित क्रांति को इंदिरा गांधी ने पूरे देश में फैलाया।
 - इससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना।
-

8. विदेश नीति में दृढ़ता:

- बांग्लादेश युद्ध के समय इंदिरा गांधी ने अमेरिका और चीन के दबाव को नजरअंदाज करते हुए सोवियत संघ से 20 वर्ष की मैत्री संधि की।
 - उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को भी नई दिशा दी।
-

9. पर्यावरण संरक्षण में कदम:

- 1972 – स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत ने पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर रुख अपनाया।
 - भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) और पर्यावरणीय नियमों की शुरुआत की गई।
-

10. समाज में महिला नेतृत्व की मिसाल:

- इंदिरा गांधी न केवल भारत की, बल्कि विश्व की पहली शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्रियों में से एक थीं।
 - उन्होंने यह साबित किया कि महिला नेतृत्व भी राष्ट्र को दृढ़ता से चला सकता है।
-

निष्कर्ष:

इंदिरा गांधी का कार्यकाल निर्णायक निर्णयों, तेज नेतृत्व, और आर्थिक-सामाजिक बदलावों के लिए जाना जाता है। हालाँकि आपातकाल जैसी विवादास्पद घटनाएँ उनके कार्यकाल को कलंकित भी करती हैं, लेकिन **उनकी उपलब्धियाँ भारतीय

यह बहुत अच्छा और परिपक्व दृष्टिकोण है कि आप इंटरव्यू में दो प्रधानमंत्रियों — डॉ. मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी — दोनों के योगदान को तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इंटरव्यू में ऐसे उत्तर तटस्थ, संतुलित और तथ्य-आधारित होने चाहिए। आइए देखें ऐसा उत्तर कैसे दें:

प्रश्न:

आपको भारत के अब तक के प्रधानमंत्री में सबसे अच्छे कौन लगते हैं?

✓ आदर्श उत्तर (डॉ. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों को शामिल करते हुए):

“मेरे विचार से भारत के दो प्रधानमंत्री — डॉ. मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी — अपने-अपने समय में अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं, और दोनों की नेतृत्व शैली अलग होने के बावजूद राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है।”

◆ 1. डॉ. मनमोहन सिंह – नीति एवं अर्थव्यवस्था के शिल्पकार:

- वे 1991 के आर्थिक संकट से भारत को उबारने वाले अर्थशास्त्री थे।
 - उनके कार्यकाल में भारत की GDP लगातार 8–9% की दर से बढ़ी।
 - उन्होंने निःशब्द नेतृत्व की मिसाल कायम की – शक्ति नहीं, नीति से शासन किया।
 - **Right to Information Act, NREGA**, और आधार कार्ड जैसी योजनाएँ उनके कार्यकाल में प्रारंभ हुईं।
 - वैश्विक मंचों पर भारत की अर्थव्यवस्था और साख मजबूत हुई।
-

◆ 2. श्री नरेंद्र मोदी – निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक पहचान:

- श्री मोदी का नेतृत्व तेज, स्पष्ट और निर्णयात्मक है।
 - उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना जैसे बड़े जन-आधारित कार्यक्रम शुरू किए।
 - अनुच्छेद 370 का निष्क्रियकरण, तीन तलाक पर प्रतिबंध, और राम मंदिर निर्माण जैसे निर्णय उनकी दूरगामी नीति का हिस्सा हैं।
 - वैश्विक मंचों पर उन्होंने भारत की राजनयिक स्थिति और नेतृत्व क्षमता को ऊँचाई दी (जैसे G20 अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस)।
-

🌀 निष्कर्ष:

“डॉ. मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को स्थायित्व दिया, तो नरेंद्र मोदी ने उसे आत्मविश्वास और दिशा दी। दोनों का नेतृत्व अपने समय की आवश्यकताओं के अनुरूप और राष्ट्रहित में रहा। इसीलिए, मैं इन दोनों प्रधानमंत्रियों को भारत की विकास यात्रा में विशेष योगदानकर्ता मानता हूँ।”

* इंटरव्यू में उपयोगी टिप्स:

- किसी नेता की आलोचना न करें — “हालाँकि दोनों की आलोचना भी होती रही है, परंतु उनके निर्णयों का दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक रहा।”
- जवाब में दृष्टिकोण, राष्ट्रहित, और संतुलन स्पष्ट दिखना चाहिए।

- एक वाक्य में व्यक्तिगत सीख जोड़ें:
👉 “मैं डॉ. मनमोहन सिंह से धैर्य और नीति की समझ सीखता हूँ, वहीं श्री मोदी से संकल्प और जनसंपर्क की कला।”

जनता पार्टी (Janata Party): एक ऐतिहासिक राजनीतिक प्रयोग
(विस्तृत, तथ्यात्मक, परीक्षा उपयोगी शैली में)

◆ परिचय:

जनता पार्टी भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक गठबंधन थी, जो 1977 में आपातकाल के विरोध और इंदिरा गांधी के एकछत्र शासन को चुनौती देने के लिए बनी थी। यह भारत में पहली बार था जब कांग्रेस के खिलाफ कोई एकजुट विपक्षी मोर्चा इतना प्रभावशाली बना कि उसने केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को बाहर कर दिया।

✚ जनता पार्टी का गठन:

◆ गठन की तिथि:

- 23 जनवरी 1977

◆ गठन की पृष्ठभूमि:

- 1975-77 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों और दमनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ व्यापक जन असंतोष था।
- विपक्षी दलों को प्रतिबंधित किया गया, नेता जेल में डाले गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए।

◆ संयुक्त दल:

जनता पार्टी विभिन्न विपक्षी दलों के विलय से बनी:

दल	प्रमुख नेता
भारतीय लोक दल (Bharatiya Lok Dal)	चरण सिंह
भारतीय जन संघ (Bharatiya Jana Sangh)	अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी

कांग्रेस (ओ) (Congress – Organisation)

मोरारजी देसाई

समाजवादी पार्टी

राज नारायण

समता पार्टी और अन्य छोटे दल

- इसके अलावा जेपी आंदोलन के कारण युवाओं में क्रांति की भावना थी, जिसके प्रेरणास्रोत थे जयप्रकाश नारायण (जेपी)।

1977 का ऐतिहासिक चुनाव:

- आपातकाल समाप्त होते ही इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव की घोषणा की।
- जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ा।
- जनता पार्टी ने 376 सीटें जीतीं, जिनमें उत्तर भारत में जबरदस्त बहुमत मिला।
- कांग्रेस मात्र 153 सीटों पर सिमट गई।

👉 पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी।

जनता पार्टी सरकार (1977–1979):

♦ प्रधानमंत्री:

मोरारजी देसाई (भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री)

कार्यक्षेत्र: 24 मार्च 1977 – 28 जुलाई 1979

सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली
 2. आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए शाह आयोग गठित
 3. संविधान का 44वाँ संशोधन (1978):
 - आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को कठिन बनाया गया।
 - मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
 4. राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया।
-

गिरावट और टूट:

♦ आंतरिक कलह के कारण:

- भारतीय जनसंघ के नेताओं की **RSS** से नाता न तोड़ने को लेकर विवाद हुआ।
- चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच सत्ता संघर्ष भी शुरू हो गया।

♦ सरकार का पतन:

- जुलाई **1979** में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया।
 - चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, परंतु संसद में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए।
 - राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी और **1980** में चुनाव कराए गए।
-

1980 में कांग्रेस की वापसी:

- इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता।
 - जनता पार्टी विभाजित हो चुकी थी – इससे उसकी विश्वसनीयता जनता की नजर में खत्म हो गई।
-

जनता पार्टी के बाद:

- जनता पार्टी का प्रभाव धीरे-धीरे खत्म हो गया।
 - इससे टूटकर कई दल बने:
 - भारतीय जनता पार्टी (**1980**) → जनसंघ घटक
 - लोकदल, जनता दल (**1988**) → चरण सिंह और देवीलाल गुट से
 - समाजवादी पार्टी जैसे कई दल
-

निष्कर्ष:

जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक थी, जिसने दिखाया कि तानाशाही के खिलाफ जनता एकजुट हो सकती है।

हालाँकि उसका शासन अल्पकालीन रहा, लेकिन आपातकाल के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, संविधान में संशोधन और जनचेतना की जागृति में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही।

42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
(The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976)

&

न्यायालय का निर्णय (**Minerva Mills** केस)
(विस्तृत, तथ्यात्मक, परीक्षा उपयोगी शैली में)

◆ पृष्ठभूमि:

- आपातकाल (1975–77) के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संसद में अपनी पूर्ण बहुमत का उपयोग कर संविधान में कई व्यापक और ऐतिहासिक बदलाव किए।
 - इन्हें संविधान की "मिनी संविधान" (**Mini Constitution**) भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन से संविधान के कई मूलभूत ढांचे को बदलने की कोशिश की गई थी।
-



42वां संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:

◆ 1. संविधान की प्रस्तावना में संशोधन:

प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए:

- "समाजवादी" (**Socialist**)
- "धर्मनिरपेक्ष" (**Secular**)
- "राष्ट्रीय एकता और अखंडता" (**Unity and Integrity of the Nation**)

👉 अब संविधान की प्रस्तावना शुरू हुई:

"हम भारत के लोग... एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य..."

◆ 2. मूल कर्तव्य (**Fundamental Duties**):

- अनुच्छेद 51A जोड़ा गया।
 - इसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को वर्णित किया गया।
-

◆ 3. संसद की सर्वोच्चता बढ़ाई गई:

- अनुच्छेद 368 में संशोधन: यह जोड़ा गया कि संसद की शक्ति सर्वोच्च है और वह किसी भी कानून को संशोधित कर सकती है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों न हो।
-

♦ 4. न्यायपालिका की शक्तियाँ सीमित:

- यह कहा गया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा।
 - न्यायालयों की न्यायिक स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश की गई।
-

♦ 5. नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई:

- नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को मौलिक अधिकारों पर वरीयता (**Supremacy**) दी गई।
-

♦ 6. केंद्र की शक्ति बढ़ी:

- राज्यों की स्वायत्तता को सीमित किया गया।
 - राष्ट्रपति को राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अधिक अधिकार दिए गए।
-

न्यायालय का निर्णय: (Minerva Mills बनाम भारत सरकार – 1980)

♦ केस का नाम:

Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980)

फैसला: 7 जजों की पीठ द्वारा, मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में

♦ मुद्दा (Issue):

क्या संसद को इतनी असीम शक्ति दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दे?
क्या संविधान में ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं जो संविधान के मूल ढांचे (**Basic Structure**) को ही नष्ट कर दें?

♦ न्यायालय का निर्णय:

1. अनुच्छेद 368 में डाले गए संशोधन (धारा 4 और 5) को असंवैधानिक ठहराया गया।

- संसद संविधान संशोधित कर सकती है, लेकिन "मूल संरचना" (Basic Structure) को नहीं तोड़ सकती।
 - 2. मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के अधीन नहीं किया जा सकता।
 - दोनों में संतुलन आवश्यक है।
 - मौलिक अधिकार व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता हैं, जो लोकतंत्र का मूल हैं।
 - 3. न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि:
 - 👉 "मूल संरचना सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine) संविधान की आत्मा है।
 - 👉 संसद सर्वशक्तिमान नहीं है, और उसकी शक्तियाँ न्यायपालिका की समीक्षा के अधीन हैं।
-

निष्कर्ष:

- ◆ 42वें संशोधन ने भारत के संविधान को अत्यधिक केंद्रीकृत और शक्तिशाली सरकार की दिशा में धकेलने की कोशिश की।
 - ◆ लेकिन **Minerva Mills** केस में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, और न्यायपालिका की रक्षा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि —
"संसद संविधान बदल सकती है, परंतु संविधान की आत्मा नहीं मिटा सकती।"
-

✅ यह अध्याय संवैधानिक कानून, भारतीय राजनीति, न्यायिक समीक्षा, आपातकाल और मौलिक अधिकारों जैसे विषयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

◆ केशवानंद भारती वाद (**Kesavananda Bharati v. State of Kerala, 1973**)
(भारत का ऐतिहासिकतम संवैधानिक मुकदमा)

परिचय:

केशवानंद भारती वाद भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा माना जाता है।

इस निर्णय ने यह तय किया कि —

👉 संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।

मूल तथ्य:

बिंदु

विवरण

वर्ष	1973
याचिकाकर्ता	केरल के एक मठ के प्रमुख – स्वामी केशवानंद भारती
प्रतिवादी	भारत सरकार
पीठ	सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी पीठ – 13 न्यायाधीश
निर्णय का दिन	24 अप्रैल 1973

पृष्ठभूमि:

- केरल सरकार भूमि सुधार अधिनियम (Land Reform Act) के तहत धार्मिक मठ की संपत्ति का अधिग्रहण कर रही थी।
- स्वामी केशवानंद भारती ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचिका दायर की।
- इस मामले में मुख्य मुद्दा था –
 👉 क्या संसद को इतना अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से बदल दे, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार भी?

इससे पहले क्या हुआ था?

केस	निर्णय
शंकर प्रसाद केस (1951)	संसद को पूर्ण संशोधन अधिकार बताया गया।
सज्जन सिंह केस (1965)	संशोधन पर कोई रोक नहीं।
गोलकनाथ केस (1967)	संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती। संसद की शक्ति सीमित बताई गई।

इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने 24वें, 25वें और 29वें संशोधन के ज़रिये संसद की शक्ति फिर से बढ़ाई। इन्हीं संशोधनों को केशवानंद भारती वाद में चुनौती दी गई।

न्यायालय में क्या फैसला हुआ?

मुख्य निर्णय:

- 7:6 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि:

"संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की 'मूल संरचना' (**Basic Structure**) को नष्ट नहीं कर सकती।"

Basic Structure Doctrine (मूल संरचना सिद्धांत):

इस सिद्धांत के अनुसार कुछ तत्व ऐसे हैं जो संविधान की आत्मा हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता:

✳ इनमें शामिल हैं:

1. लोकतंत्र
2. संप्रभुता
3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
4. मौलिक अधिकार
5. कानून का शासन (**Rule of Law**)
6. संघीय ढांचा (**Federalism**)
7. न्यायिक समीक्षा (**Judicial Review**)
8. संसदीय प्रणाली

👉 यह सूची बंद (**Closed list**) नहीं है — भविष्य में भी न्यायालय इसमें नई चीजें जोड़ सकता है।

महत्व और प्रभाव:

1. संसद की शक्ति सीमित हुई।
2. न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संविधान की आत्मा की रक्षा हुई।
3. आगे चलकर इस सिद्धांत ने 42वें संविधान संशोधन को **Minerva Mills** केस (1980) में भी रद्द करने में आधार बनाया।

निष्कर्ष:

केशवानंद भारती वाद भारत में संवैधानिक संतुलन, लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक सीमाओं की पुनः स्थापना का प्रतीक है।

यह निर्णय आज भी हमारे संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है।

आपातकाल का जनता पर प्रभाव

और

क्या आपातकाल के प्रावधान सही हैं? क्या इन्हें हटाया जाना चाहिए?

(विवेचनात्मक विश्लेषण - परीक्षा/निबंध/भाषण के लिए उपयोगी)

● 1. आपातकाल का जनता पर प्रभाव (1975–77):

आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी, लेकिन इसका असर देश की आम जनता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों पर गहरा पड़ा।

◆ A. मौलिक अधिकारों का हनन:

- नागरिकों के अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया।
- हबीयस कॉर्पस (**Habeas Corpus**) जैसे अधिकार भी निलंबित — यानी बिना कारण बताए गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

👉 एक उदाहरण: शिबबन लाल सक्सेना जैसे स्वतंत्रता सेनानी को बिना मुकदमा जेल में डाल दिया गया।

◆ B. प्रेस पर सेंसरशिप:

- समाचार पत्रों पर कड़ी निगरानी।
 - बिना सरकारी अनुमति कोई समाचार नहीं छापा जा सकता था।
 - विरोधस्वरूप "इंडियन एक्सप्रेस" ने खाली पन्ने छापे।
-

◆ C. राजनीतिक दमन:

- विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया (जेपी, वाजपेयी, आडवाणी आदि)।
 - विरोध करना देशद्रोह जैसा माना गया।
-

◆ D. नसबंदी जैसे जनविरोधी कार्यक्रम:

- संजय गांधी द्वारा ज़बरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया।
 - गरीबों और अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया।
-

◆ E. जनता में भय और असंतोष:

- हर वर्ग – छात्र, शिक्षक, पत्रकार, मजदूर – भय और असहमति में जीने को मजबूर।
- लोकतंत्र "साँस रोककर खड़ा रहा।"

⚖️ 2. क्या आपातकाल के प्रावधान सही हैं? क्या इन्हें हटा देना चाहिए?

● आपातकाल की आवश्यकता क्यों है? (तर्क में पक्ष में):

बिंदु	विवरण
◆ राष्ट्रीय सुरक्षा	युद्ध, विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में त्वरित निर्णय आवश्यक हो सकते हैं।
◆ व्यवस्था बहाली	बड़े प्राकृतिक आपदा, महामारी या सांप्रदायिक दंगों में केंद्र को विशेष अधिकार चाहिए।
◆ संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना	राज्यों में असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्र को अनुच्छेद 356 का प्रयोग जरूरी हो सकता है।

👉 संविधान सिर्फ "शांति काल" का नहीं, "संकट काल" का भी मार्गदर्शक होना चाहिए।

● लेकिन गलत प्रयोग का खतरा (तर्क में विरोध में):

समस्या	विवरण
✗ दमनात्मक प्रयोग	1975 का आपातकाल इसका जीवंत उदाहरण है।
✗ लोकतंत्र का गला घोटना	जनता की आवाज, प्रेस, न्यायपालिका – सब पर अंकुश।
✗ शक्ति का केंद्रीकरण	संसद, मंत्रिमंडल की बजाय केवल प्रधानमंत्री के पास सर्वाधिकार।

✅ समाधान: हटाना नहीं, बल्कि सुधार और संतुलन जरूरी है:

✓ 44वां संविधान संशोधन (1978) के सुधार:

- अब आपातकाल लगाने के लिए कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य।

- आंतरिक अशांति (**internal disturbance**) को हटाकर केवल सशस्त्र विद्रोह (**armed rebellion**) को आपातकाल का कारण बनाया गया।
- मौलिक अधिकारों (**Article 20 & 21**) को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।

👉 यानी पहले जो गलतियाँ हुईं, उन्हें संवैधानिक रूप से ठीक किया गया।

📌 निष्कर्ष:

- आपातकाल जैसे प्रावधानों का अस्तित्व आवश्यक है, लेकिन उनका दुरुपयोग न हो, यह संवैधानिक संतुलन, न्यायिक निगरानी और जनजागरूकता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
 - इसलिए इन प्रावधानों को हटाना नहीं, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर पारदर्शी और लोकतांत्रिक ढंग से सीमित रखना ही बेहतर उपाय है।
-

- ◆ राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग
 - ◆ वित्तीय आपातकाल और **1991** के आर्थिक संकट में उसे लागू क्यों नहीं किया गया? (विस्तृत विश्लेषण – परीक्षा, निबंध, साक्षात्कार के लिए उपयोगी)
-

◆ I. राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग (Misuse of President's Rule)

📌 प्रावधान:

- अनुच्छेद **356**: यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा हो, तो केंद्र सरकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन (**President's Rule**) लागू कर सकती है।
-

⚖️ मूल उद्देश्य:

- राज्यों में संवैधानिक संकट, विधानसभा में बहुमत न होना, या कानून व्यवस्था की विफलता की स्थिति में अस्थायी और आवश्यक उपाय के रूप में।
-

🚨 लेकिन व्यवहार में क्या हुआ?

इस प्रावधान का राजनीतिक हथियार के रूप में बार-बार दुरुपयोग हुआ:

वर्ष	राज्य	किसके द्वारा	कारण (असल में राजनीतिक)
1959	केरल	जवाहरलाल नेहरू सरकार	कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया
1977	9 राज्य	इंदिरा गांधी	जनता पार्टी की जीत के बाद विपक्षी सरकारों को हटाया
1980	9 राज्य	इंदिरा गांधी (फिर से)	खुद की वापसी पर जनता सरकारों को हटाया
1992	उत्तर प्रदेश	नरसिंह राव	बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद

बचाव के उपाय – सुप्रीम कोर्ट की भूमिका:

◆ एस.आर. बॉमई बनाम भारत सरकार केस (1994):

इतिहास का टर्निंग पॉइंट

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:
 - अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं हो सकता।
 - बहुमत का परीक्षण विधानसभा के भीतर ही होना चाहिए, राज्यपाल की रिपोर्ट ही पर्याप्त नहीं।
 - न्यायिक समीक्षा संभव है (Judicial Review)।

निष्कर्ष (राष्ट्रपति शासन पर):

राष्ट्रपति शासन का संविधान में स्थान आवश्यक है, लेकिन अतीत में इसका राजनीतिक उद्देश्य से बार-बार दुरुपयोग हुआ।

अब न्यायिक निगरानी और संघीय भावना के कारण इसका प्रयोग अधिक नियंत्रित और विवेकपूर्ण हुआ है।

◆ II. वित्तीय आपातकाल और 1991 का आर्थिक संकट

📌 वित्तीय आपातकाल क्या है?

- अनुच्छेद 360: यदि राष्ट्रपति को लगे कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर खतरा है, तो वे वित्तीय आपातकाल (**Financial Emergency**) घोषित कर सकते हैं।

◆ प्रभाव:

- केंद्र सरकार को राज्यों के बजट और वित्तीय मामलों में पूर्ण नियंत्रण।
- सभी सरकारी कर्मचारियों की वेतन में कटौती संभव।
- संविधानिक रूप से बहुत कठोर स्थिति मानी जाती है — अब तक कभी लागू नहीं हुआ।

? 1991 का आर्थिक संकट क्या था?

- भारत के पास मात्र 13 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तेल आयात और कर्ज भुगतान के लिए पैसे नहीं थे।
- ब्याज दरें ऊँची, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, और GDP कम हो रही थी।
- सरकार ने स्वर्ण भंडार गिरवी रखकर IMF और विश्व बैंक से सहायता मांगी।

😞 तो फिर वित्तीय आपातकाल क्यों नहीं लगाया गया?

◆ 1. राजनीतिक अस्थिरता नहीं थी:

- केंद्र में नरसिंह राव की स्थिर सरकार थी।
- शासन प्रणाली पर संकट नहीं था, सिर्फ आर्थिक संकट था।

◆ 2. वैश्विक समाधान की दिशा में सोच:

- सरकार ने IMF और विश्व बैंक के साथ समझौते, आर्थिक सुधार, और उदारीकरण की नीति अपनाई — जिसे अब "1991 का आर्थिक सुधार" कहा जाता है।

◆ 3. वित्तीय आपातकाल से भय का वातावरण:

- इससे सभी कर्मचारियों की वेतन कटौती, राज्यों पर कठोर नियंत्रण, और आम जनता में घबराहट होती।

- सरकार संकट को प्रबंधकीय और नीतिगत उपायों से हल करना चाहती थी, न कि आपातकाल जैसे कठोर कदम से।

♦ 4. अंतरराष्ट्रीय छवि का डर:

- वित्तीय आपातकाल लगाने से भारत की वैश्विक साख को और नुकसान होता।
- विदेशी निवेश, कूटनीतिक संबंध और बाज़ार में भरोसा टूट जाता।

✓ निष्कर्ष (वित्तीय आपातकाल):

1991 का संकट गहरा जरूर था, पर संविधानिक नहीं — आर्थिक था।

सरकार ने दूरदर्शिता से कठोर आपातकाल जैसे विकल्पों से बचकर संस्थानिक सुधारों का रास्ता अपनाया, जो आज के भारत की आर्थिक रीढ़ बन गए।
